

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT PRIME BLOCK-B"

IN KHASRA NO.- 795/231, 816/233, 817/233.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.

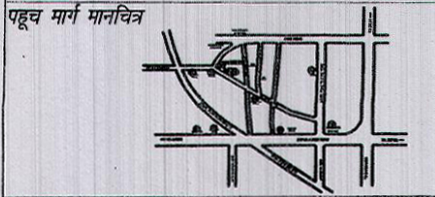
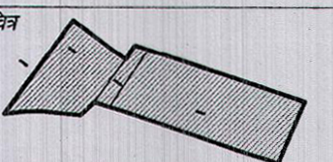


979
B
02.2.22

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

खसरा मानचित्र
अमीन
जोन-12

ज.वि.प्रा.



खसरा विवरण योजना 2022 के अनुसार नु. जल्लेन
जल्लेन भूखण्डों की विवरण तालिका :-
1. कुल अवधारित भूखण्ड = 81
2. सुरक्षा अवधारित भूखण्ड = 8-12

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	7338.84	56.16 %
2.	RETAIL	72.00	0.55 %
	TOTAL = 1+2	7410.84	56.71 %
3.	PARK	653.46	05.00 %
4.	S.W.M.	50.00	0.38 %
5.	MOBILE TOWER	20.03	0.15 %
6.	ZNL RD 24 M.	1409.24	10.79 %
7.	ROAD	3523.43	26.97 %
	TOTAL = 3 TO 7	5656.16	43.29 %
	SCHEME AREA	13067.00	100.00 %
		01.3067 HECT.	

योजना की नुकी की समुदाय जल्लेन की वार 90 ए की कार्यवाही एवं नुकी पर नुकी का प्रत्यक्षिकरण से द्वारा किया गया। योजना की नुकी नुकी प्रक्रिया में निहित हो चुकी है।

नाम : जल्लेन
तहसीलदार : जल्लेन
नगर : जल्लेन

योजना का नाम :-
"RIYASAT PRIME BLOCK-B"

IN KHASRA NO.- 795/231, 816/233, 817/233
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.

जोन संख्या = 12
पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक : अति.सहायक नगर नियोजक : वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT : Cad Max PROJECTS PVT. LTD.

301, Third Floor Prism Tower, Front of Police Head Quarters, Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR Mobile No. 9829045031

- नोट
- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 12.11.2021 को हो चुकी है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 30, 36, 37, 38 एवं भूखण्ड संख्या 45 कुल 5 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 988.48 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा दिकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 310 वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू-उपयोग ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू-उपयोग यू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
 - बीपीसी (एलपी) की बैठक 310 दिनांक 09.12.2021 के निर्णय कि पालना में योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत जारी किया जा रहा है।
 - प्रकरण में बी.पी.सी एल.पी की 310 वी बैठक 09.12.2021 के एजेण्डा संख्या 11 के बिन्दु संख्या 1 की पालना में योजना में प्रस्तावित पार्क एवं भूखण्ड संख्या 15 के मध्य 3.00 मीटर लेन आरक्षित रखते हुए भूखण्ड संख्या 15 के शेष रहे क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या 16 व 17 में सम्मिलित किया गया है। जिस कारण भूखण्ड संख्या 15 को विलोपित किया गया है।

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

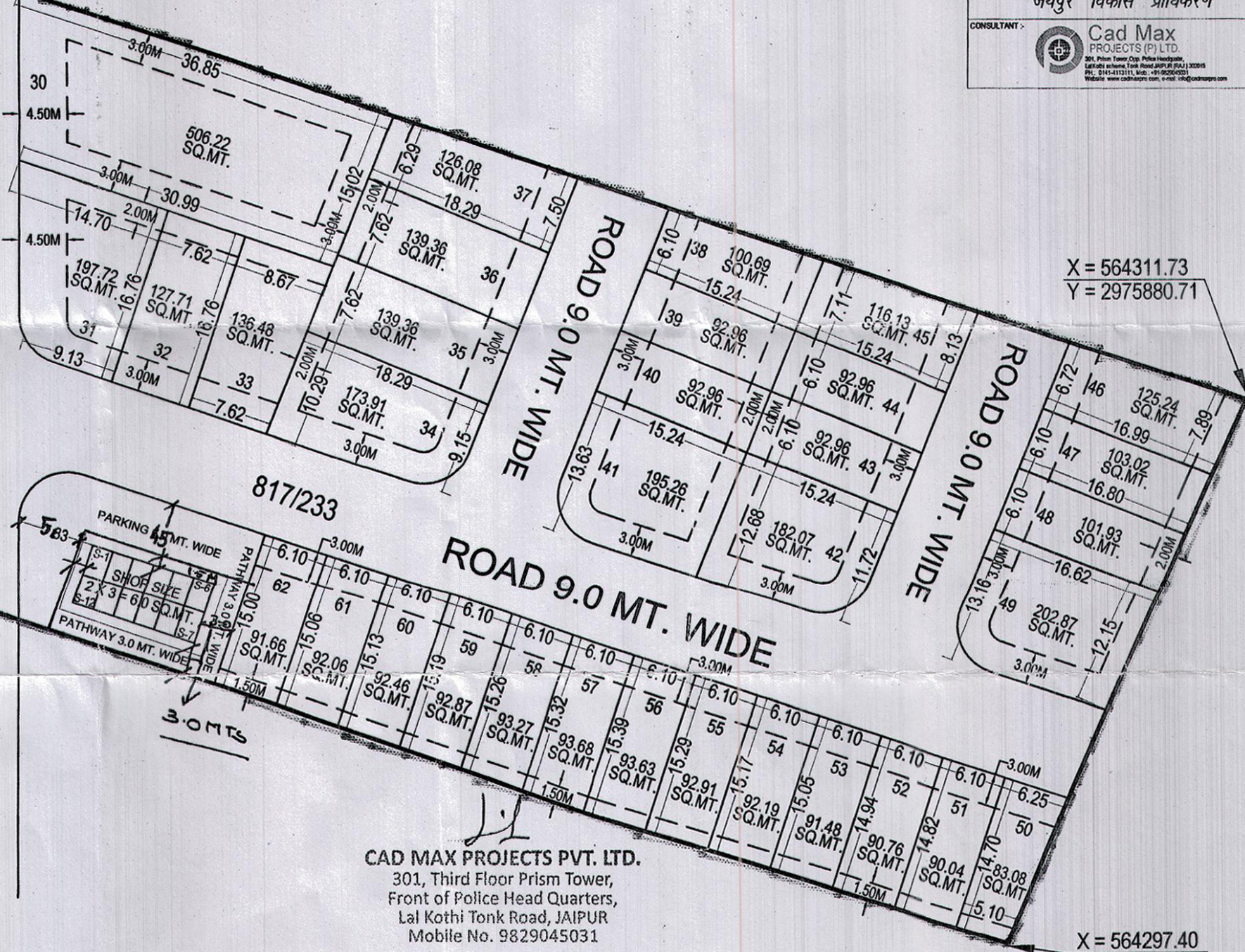
तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

ZONAL PLAN ROAD 24.0 MT. WIDE



CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

